निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1939 (श0)
(सं0 पटना 1104) पटना, मंगलवार, 28 नवम्बर 2017

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
20 नवम्बर 2017

सं० 16/आई.जी.1–09/2014–(अंश)–1283–(आ०चि०)——आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, आयुष शिक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी (ए.एस.यू. एण्ड एच.) औषधियों की गुणवत्ता के प्रभावकारी नियंत्रण एवं औषधीय पादपों के उन्नयन के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0–आर.14011/02/2014–एच.एण्ड डी. सेल दिनांक 10.10.2014 के द्वारा **"राष्ट्रीय आयुष मिशन"** के अंतर्गत **सभी राज्यों एवं केन्द्र** शासित प्रदेशों में **"राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आयुष सोसाइटी"** के शीघ्रातिशीघ्र गठन का निदेश दिया गया है।

2. उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिपथ रखते हुये भारत सरकार के उक्त निदेश के आलोक में **"राष्ट्रीय आयुष मिशन"** के तहत **"राज्य आयुष सोसाइटी, बिहार, पटना"** के गठन एवं इसका निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत कराने का निर्णय लिया जाता है।

3. **"राज्य आयुष सोसाइटी"** के नीतिगत निर्णयों हेतु एक **शासी निकाय (Governing Body)** एवं कार्यकलापों के संचालन निमित्त एक **कार्यकारिणी समिति (Executive Body)** का निम्नरूपेण गठन किया जाता हैः–

(Governing Body) शासी निकाय

क्र0सं0	पदनाम	स्थिति
1	**2**	**3**
1.	विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, वित विभाग/मनोनीत सदस्य	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/मनोनीत सदस्य	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/मनोनीत सदस्य	सदस्य
5.	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
6.	महानिदेशक, आयुष	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य

क्र0सं0	पदनाम	स्थिति
1	2	3
8.	राज्य औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य
9.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य सचिव

(Executive Body) कार्यकारिणी समिति

क्र0सं0	पदनाम	स्थिति
1.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	अध्यक्ष–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
2.	महानिदेशक, आयुष /विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक
3.	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
4.	वित विभाग के मनोनित सदस्य	सदस्य
5.	पर्यावरण एवं वन विभाग के मनोनित सदस्य	सदस्य
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सदस्य
7.	राज्य औषधि नियंत्रक	सदस्य
8.	निदेशक/उप निदेशक (आयुर्वेद), निदेशक/उप निदेशक (यूनानी) एवं निदेशक/उप निदेशक (होमियोपैथिक)	सदस्य
9.	अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य–सह– नोडल अधिकारी

4. शासी निकाय द्वारा कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में **"राज्य आयुष सोसाइटी"** की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति, आयुष पद्धतियों का अवलोकन, आयुष नीति एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा, अन्तरक्षेत्रीय समन्वय एवं आयुष परिदृश्य के संवर्द्धन हेतु अवाश्यक सुझाव प्रदान करने के दायित्व का वहन किया जायेगा।

5. इसी प्रकार मिशन के विस्तृत व्यय और क्रियान्वयन की समीक्षा, राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और उसे शासी निकाय के अनुमोदन के लिए भेजना, वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधियों की निर्मुक्ति सहित अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना का निष्पादन, शासी निकाय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी और मूल्यांकन, सोसाइटी के लेखों का अनुरक्षण एवं सोसाइटी के प्रशासन के दायित्वों का वहन **"राज्य आयुष सोसाइटी"** की कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. इस सम्बंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 700 (दे0चि0), दिनांक 17.07.2015 इस अंश तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1104-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in